



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

NHAI/RO/NAG/UT-563/NH-56/Electric/2025-26/ 3113

Date: 01.01.2026

Invitation of Public Comments

Sub: 4 laning of Kondhali-Talegaon section of NH-53 from km 50.000 to km 100.000 in the State of Maharashtra on BOT Basis -Proposal for crossing of 11 KV underground electric line at km 71.760 -Reg.

Ref.:

1. PD, PIU Amravati letter no. 2633 dated 29.12.2025.
2. EE, O&M Div. MSEDCL, Arvi letter no. 2967 dated 03.11.2025.

It is to inform all concern that M/s MSEDCL letter under reference (2) has submitted a proposal for the subjected work and PIU has recommended the above proposal vide letter under reference (1) for approval of the Competent Authority / Highway Administrator.

2. The alignment proposed by that M/s MSEDCL for subject section is as follows:
 - Underground crossings at km 71.760

3. As per Para-4 of Ministry's Circular No.RW/NH-33044/29/2015/S&R(R), dated 22.11.2016, the Highway Administration shall be put out in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest).

4. In view of the above, the comments / objections of affected public is hereby invited with reference to the Ministry's circular dated 28.01.2016. The objections / comments may be addressed to the below mentioned address within 30 days from issuance of public comments, beyond due date, no comments/ objections will be accepted.

The Regional Officer,
Regional Office - Nagpur
National Highways Authority of India,
"Narang Towers", 3rd Floor,
Opp.to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City),
Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440001,
Maharashtra, Tel : 0712-2520091 Email : ronagpur@nhai.org

मि. 31/3
01.01.26

(निर्मल एम. झाडे)

महाप्रबंधक (तकनीकी)

Copy to:

- (i) Web Admn., NHAI, HQ, New Delhi - for uploading in NHAI's website [web-admin@nhai.org]
- (ii) Director, NIC, New Delhi - for uploading in Ministry's website [mansoor@nic.in].



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर : "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur : "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur- 440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

एनएचएआई/आरओ/एनएजी/यूटी-563/एनएच-56/इलेक्ट्रिक/2025-26/3113

दिनांक: 01.01.2026

सार्वजनिक टिप्पणियों का निमंत्रण

विषय: महाराष्ट्र राज्य में बीओटी आधार पर एनएच-53 के कोंढाली -तलेगांव खंड को किमी 50.000 से किमी 100.000 तक 4 लेन का बनाना - किमी 71.760 पर 11 केबी भूमिगत विद्युत लाइन को क्रॉस करने का प्रस्ताव - पंजीकृत।

संदर्भ:

1. पीडी, पीआईयू अमरावती पत्र संख्या 2633 दिनांक 29.12.2025।
2. ईई, ओ एंड एम डिवीज़न एमएसईडीसीएल, आरवी पत्र संख्या 2967 दिनांक 03.11.2025।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एमएसईडीसीएल ने संदर्भ (2) के तहत पत्र के तहत विषयगत कार्य के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और पीआईयू ने सक्षम प्राधिकारी / राजमार्ग प्रशासक के अनुमोदन के लिए संदर्भ (1) के तहत पत्र के माध्यम से उपरोक्त प्रस्ताव की सिफारिश की है।

2. उस मेसर्स MSEDCL ने सब्जेक्ट सेक्शन के लिए जो अलाइनमेंट प्रपोज़ किया है, वह इस तरह है:

- 71.760 km पर अंडरग्राउंड क्रॉसिंग

3. मंत्रालय के सर्कुलर नंबर RW/NH-33044/29/2015/S&R(R), तारीख 22.11.2016 के पैरा-4 के मुताबिक, हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन को दावे और आपत्तियां (पब्लिक की परेशानी, सुरक्षा और आम पब्लिक के हित के आधार पर) मांगने के लिए 30 दिनों के लिए पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा।

4. ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, मिनिस्ट्री के 28.01.2016 के सर्कुलर के हिसाब से, प्रभावित लोगों के कमेंट्स/ऑब्जेक्शन मंगाए जाते हैं। ऑब्जेक्शन/कमेंट्स, पब्लिक कमेंट्स जारी होने के 30 दिनों के अंदर नीचे दिए गए पते पर भेजे जा सकते हैं, तय तारीख के बाद कोई भी कमेंट/ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।

क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,

"नारंग टावर", तीसरी मंजिल,

पुलिस उप आयुक्त यातायात कार्यालय के सामने (नागपुर शहर),

पाम रोड, सिविल लाईन्स, नागपुर-440001,

महाराष्ट्र, दूरभाष : 0712-2520091 ईमेल : ronagpur@nhai.org

31/13
01.01.26
(निर्मल एम. झाड़े),
जीएम (तकनीकी)

में कॉपी:

- (i) वेब एडमिनिस्ट्रेशन, NHAI, हेडक्वार्टर, नई दिल्ली - NHAI की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए [web-admin@nhai.org]
- (ii) डायरेक्टर, NIC, नई दिल्ली - मिनिस्ट्री की वेबसाइट [mansoor@nic.in] पर अपलोड करने के लिए।